राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 127/2010, 1154/2010, 2067/2011 एवं 1140/13/सिरोही

उनवान– मै० मॉर्डन इन्सूलेटर्स लि., सिरोही बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल -- सदस्य** **श्री मनोहर पुरी -- सदस्य** अपीलार्थी प्रार्थी अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी.पी. औझा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना–पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी एमेनेस्टी स्कीम वर्ष 2015 अधिसूचना संख्या एफ/12(16) एफडी/कर/2009–183 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते है। इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलों को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपीलों को विदड्रा करने की अनुमति दी जाती है। अतः अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 127/2010, 1154/2010, 2067/2011 एवं 1140/13/सिरोही जरिये विदड्राल (Withdrawal) खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। (मनोहर पुरी) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	